आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

आपूर्ति पुनरीक्षण वाद सं0-170/2022

अंजु शुक्ला

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

आदेश

05.04.2024

प्रस्तुत आपूर्ति पुनरीक्षणवाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C. No. 344/2021 में दिनांक 17.09.2021 को पारित आदेश के अनुपालन में इस स्तर पर लाया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का मुख्य अंश निम्नलिखित हैः-

".....the present writ petition stands disposed of with liberty to the petitioner to file appropriate representation/appeal, as aforesaid, before the Divisional Commissioner, Gopalganj and in case such a representation/appeal is filed within a period of four weeks from today, the same shall be disposed of on merits, in accordance with law, by a reasoned and a speaking order within a period of eight weeks thereafter, after giving an opportunity of hearing to all the affected persons."

2. प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विषय-वस्तु यह है कि जिला-गोपालगंज अन्तर्गत अनुमंडल-हथुआ, प्रखंड-कटेया, पंचायत-करकट्हा, रोस्टर बिन्दु-495 हेतु नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति के लिए विज्ञापन का प्रकाशन किया गया। उक्त के आलोक में आवेदिका अंजु शुक्ला, पति-रूद्र प्रताप शुक्ला एवं विपक्षी सं0-04, विजयमल शर्मा, पिता-नथुनी शर्मा समेत कतिपय अन्य अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए गए। प्राप्त आवेदनों के आधार पर औपबंधिक वरीयता सूची तैयार किया गया, जिसमें आवेदिका अंजू शुल्ला क्र0 01 पर तथा विपक्षी सं0-04 विजयमल शर्मा क्र0 स0-02 पर रहे है। औपबंधिक वरीयता सूची का प्रकाशन कर उक्त के संबंध में अभ्यर्थियों से दावा-आपत्ति की मांग की गयी। आपत्ति निराकरण के पश्चात अंतिम वरीयता सूची का प्रकाशन किया गया, जिसमें आवेदिका के पास आटा-चक्की होने तथा उनके पति के थाना काण्ड सं0-136/16 में हत्या के अभियुक्त होने के कारण नियंत्रण आदेश, 2016 के कंडिका 11(iii) *"आटा चक्की के मालिक एवं उसके निकट सम्बन्धियों को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी"* के प्रावधान के आलोक में आवेदिका का आवेदन अस्वीकृत किया गया तथा क्र0 स0-02 पर स्थित विपक्षी विजयमल शर्मा के पक्ष में नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु अनुशंसा की गयी। उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा न्यायालय समाहर्ता, गोपालगंज के समक्ष नई अनुज्ञप्ति हेतु विविध अपील सं0-38/2021 दायर किया गया, परंतु उक्त वाद की सुनवाई पूरी होने के पूर्व उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष C.W.J.C. No. 344/2021 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 17.09.2021 को पारित आदेश के

Scanned with CamScanner

आलोक में वाद की सुनवाई इस स्तर पर की गयी है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक - उपस्थित। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना।

3. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि प्रश्नगत रोस्टर विन्दु के लिए प्राप्त आवेदनों की औपबंधिक मेधा सूची में आवेदिका अंजू शुक्ला क्र0 सं0-01 पर तथा विपक्षी विजयमल शर्मा, क्र0सं0-02 पर रहे है। आवेदिका की उच्चत्तर शैक्षणिक योग्यता-स्नातकोत्तर (44.88%) तथा कम्प्यूटर योग्यता Computer Basic है; जबकि विपक्षी विजयमल शर्मा की उच्चत्तर शैक्षणिक योग्यता-स्नातक (41%) तथा कम्प्यूटर योग्यता ADCA है। परन्तु जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदिका के अभ्यर्थिता पर विचार न करते हुए विपक्षी के पक्ष में नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति की अनुशंसा की गयी है, जो नियंत्रण आदेश, 2016 के प्रावधानों के प्रतिकूल है।

उपर्युक्त के आधार पर आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि आवेदिका के पुनरीक्षण आवेदन को स्वीकार करते हुए प्रश्नगत रोस्टर बिन्दु के विरूद्ध आवेदिका के चयन का आदेश दिया जाय।

4. विपक्षी सं0-04, विजयमल शर्मा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि ग्राम पंचायत-करकटहा, प्रखंड-कटेया, रोस्टर बिन्दु -495 पर जन वितरण प्रणाली विक्रेता के चयन के लिए प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इस क्रम में तैयार किए गए औपबंधिक मेधा सूची में आवेदिका क्र0 स0-01 पर तथा वे क्र0 सं0-02 पर रहे है। इस क्रम में प्रकाशित औपबंधिक मेधा सूची के आलोक में उनके द्वारा आवेदिका के परिवार में आटा चक्की होने एवं आवेदिका के पति के कटेया थाना कांड सं0-138/2016 में हत्या के आरोपित होने के विषय में अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष आपत्ति दी गयी। अनुमंडल पदाधिकारी, हयुआ द्वारा उक्त बिन्दु की जाँच कराए जाने के क्रम में क्र0सं0 01 पर स्थित आवेदिका अंजु शुक्ला के विरूद्ध आपत्ति को प्रमाणित पाया गया। जिसके कारण बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश, 2016 के कंडिका-11(iii) के तहत आवेदिका को अयोग्य पाते हुए अंतिम वरीयता सूची में क्र0स0-02 पर स्थित विपक्षी के पक्ष में नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु अनुशंसा की गयी।

उक्त के आधार पर विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि प्रश्नगत केन्द्र पर नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु विपक्षी सं0-04 का चयन विधि सम्मत है जिसे यथावत रखा जाए।

5. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा सरकार का पक्ष रखते हुए बताया गया कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1222/खाद्य, पटना, दिनांक 08.03.2017, विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक सं0-1750, दिनांक 10.03.2016 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के

Scanned with CamScanner

संकल्प सं0-963, दिनांक 20.01.2016 तथा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं0-2342 दिनांक 15.02.2016 के प्रावधान के तहत विज्ञापन प्रकाशन के आलोक में प्रखंड-कटेया, पंचायत-करकटहा, रोस्टर बिन्दु-495, आरक्षण कोटि-अनारक्षित के विरुद्ध आवेदिका, अंजु शुक्ला एवं विपक्षी सं0-04, विजयमल शर्मा समेत कई अन्य अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए गए। इस क्रम में तैयार किए गए औपबंधिक वरीयता सूची में आवेदिका अंजु शुक्ला को क्र0स0-01 तथा विपक्षी विजयमल शर्मा को क्र0सं0-02 पर रखा गया। औपबंधिक वरीयता सूची के प्रकाशन के पश्चात उक्त पर दावा आपत्ति की मांग की गयी तथा दावा आपत्ति निष्पादन के पश्चात अंतिम वरीयता सूची का प्रकाशन किया गया। अंतिम वरीयता सूची में आवेदिका अंजू शुक्ला के सामने 'आवेदक के संबंध में अभियुक्ति' कॉलम में *"आटा चक्की है पति थाना काण्ड सं0-138/16 में हत्या के अभियुक्त है।"* अंकित किया गया है। जिसके कारण 'अनुज्ञप्ति हेतु मंतव्य' कॉलम में *"नियंत्रण आदेश 2016 के कंडिका 11(iii) के आलोक में योग्य नहीं है"* अंकित किया गया है। इस क्रम में वरीयता सूची के क्र0स0-02 पर स्थित अभ्यर्थी विजयमल शर्मा द्वारा वांछित अर्हता पूर्ण किए जाने के कारण उनका चयन नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को विस्तारपूर्वक सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजात एवं जिला स्तरीय चयन समिति (आपूर्ति) के प्रश्नगत आदेश का अवलोकन किया गया।

अंतिम वरीयता सूची के अनुसार आवेदिका के पास आटा चक्की रहने के कारण **बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कंडिका 11(iii)** *"आटा चक्की के मालिक एवं उसके निकट सम्बन्धियों को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी"* के आलोक में आवेदिका को नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु योग्य नहीं माना गया है। इस संबंध में आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस स्तर पर सुनवाई के क्रम में कुछ भी नहीं कहा गया है। ऐसे में जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा पारित आदेश विभागीय प्रावधान के अनुरूप है, जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

उपर्युक्त वर्णित कारण से जिला स्तरीय चयन समिति (आपूर्ति) गोपालगंज के आदेश ज्ञापांक-677/आ0, दिनांक 31.08.2020 द्वारा रोस्टर बिन्दु-495 पर विपक्षी विजयमल शर्मा के चयन को यथावत रखा जाता है।

तदनुसार, प्रस्तुत आपूर्ति पुनरीक्षणवाद को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।

Scanned with CamScanner